कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 5838 / 14—1 आगरा : दिनांक : जून 13 2023

सेवा में,

परियोजना प्रबंधक
यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
वाटर वर्क्स चौराहा, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत आगरा सीवरेज योजना में बांईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत प्रस्तावित डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की कुल 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 09 / 94 / 2023 / एफ.सी. / 153 दिनांक 31.05.2023 एवं आपका पत्रांक 429 / नमामि गंगे आगरा दिनांक 07.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में आपत्ति लगायी गयी है। उक्त के अनुपालन में आपने अपने संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं0—2 के सम्बन्ध में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है, के कम में अवगत कराना है कि प्रकरण में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि आपके द्वारा ही वन विभाग को उपलब्ध करानी है। विषयगत प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा के पत्र दिनांक 19.08.2021 द्वारा तहसील खेरागढ के ग्राम विधौली के गाटा संख्या—3क रकवा (बंजर) भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गयी है। वृक्षारोपण हेतु उक्त आरक्षित गैर वनभूमि का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी खेरागढ से कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी खेरागढ ने अपने पत्रांक—225 / 14—1 दिनांक 13.06.2023 से अवगत कराया है कि उक्त प्रस्तावित गैर वनभूमि ऊसर है जिसका पी.एच. 11 से अधिक है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।

अतः उक्त के दृष्टिगत उक्त प्रस्तावित गैर वनभूमि के बदले किसी अन्य स्थल पर भूमि का चयन कर वन विभाग के नाम नामान्तरण कराते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विषयगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

A.Kumar
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 5838 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा को उनके पत्रांक—735 / प—206 / डीएलआरसी दिनांक 19.08.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी खेरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।

A.Kumar
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-20/104